न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 74/2025 G.C.M.S. No. 2025/383 दर्ज दिनांक : 25.06.2025

अपीलार्थी:

1. श्रीमती धापुबाई विकास व शिक्षा संस्थान पाली बोमादड़ा रोड, उतवण जरिये सेक्रेटरी गुणेश रावल पता 399 बजरंग नगर, पाली।

बनाम

प्रत्यर्थीगण:

1. तहसीलदार (भूमिधारक) पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध संख्या 02/2023 जीसीएमएस नंबर 2024/26 बअनवान तहसीलदार भूमिधारक पाली बनाम श्रीमती धापुबाई विकास व शिक्षा संस्थान में पारित आदेश दिनांक 02.05.2024 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री जब्बरसिंह हाथलाई, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. राज पैरोकार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 31.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध संख्या 02/2023 जीसीएमएस नंबर 2024/26 बअनवान तहसीलदार भूमिधारक पाली बनाम श्रीमती धापुबाई विकास व शिक्षा संस्थान में पारित आदेश दिनांक 02.05.2024 के विरूद्व पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेण्ट ने सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, पाली के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा गांव उतवण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 91/1 रकबा 0. 4613 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 1 कुल रकबा 0.4613 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। अप्रार्थी संस्था उतवन के मूल निवासी है, ने उक्त वर्णित कृषि भूमि पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के धापुबाई शिक्षण संस्थान/उज्जवल विक्रम लॉ कॉलेज संचालित कर अकृषि शैक्षणिक/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही हैं। अप्रार्थी ने कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन से संपरिवर्तन कराये बिना ही कृषि भूमि पर शैक्षणिक/व्यावसायिक गतिविधियां कर शैक्षणिक/व्यवसायिक उपयोग में लिये जा रहे हैं, जिससे संपरिवर्तन नियमों के तहत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

जो प्लान अनुमोदन किये जाने की प्रक्रिया उससे बचने एवं सार्वजनिक सुविधा के लिए भूमि नही छोड़ने की गरज से कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले रहा है, जिससे खातेदार द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों की शर्तों की पालना नहीं की जा रही हैं, जिससे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन किया है, उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए तहसीलदार भूमिधारी, पाली द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की गई। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय में एकतरफा कार्यवाही करते हुए दिनांक 02.05.2024 को धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर ग्राम उतवण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 91/1 रकबा 0.4613 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 1 कुल रकबा 0.4613 हैक्टेयर भूमि किस्त बारानी दोयम भूमि से अप्रार्थी को बेदखल किये जाने व उक्त भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित किये जाने का आदेश पारित किया गया तथा उक्त आदेश की पालना में दिनांक 11.06.2024 को उक्त भूमि को सिवाय चक घोषित कर दिया गया। उक्त आदेश की पालना में 1–03 बीघा भूमि जो समर्पण की गई थीं, उक्त भूमि को राज्य सरकार के खाते में पटवारी द्वारा दर्ज कर ली गई तथा 2–17 बीघा अर्थात 0.4613 हैक्टेयर भूमि जो अपीलाण्ट के जिला कलेक्टर के आदेशानुसार संपरिवर्तन आदेश के तहत राजस्व रेकर्ड में दर्ज करनी थीं, उस भूमि को संपरिवर्तन आदेश के तहत अकृषि कार्य हेतु दर्ज नहीं किया गया अर्थात जिला कलक्टर, पाली के आदेश दिनांक 30.11.2017 की पूर्ण पालना नहीं कर अधूरी पालना की गई तथा अपीलाण्ट को नुकसान पहुंचाने की नियत से उक्त कार्यवाही की हैं। साथ ही जिला कलेक्टर पाली के आदेश दिनांक 30.11.2017 के आदेश की जानकारी तहसीलदार पाली एवं पटवारी हल्का को पूर्व से जानकारी थीं, लेकिन अनुचित लाभ कमाने की मंशा से प्रार्थी अपीलाण्ट को नुकसान पहुंचाने की नियत से हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर तहसीलदार पाली द्वारा धारा 177 आर. टी. एक्ट का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल के बिना तथा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.05.2024 को पारित किये गये आदेश की जानकारी अपीलाण्ट को नहीं थीं, क्योंकि अपीलाण्ट की उक्त कृषि भूमि का पट्टा कार्यालय विहित प्राधिकारी जिला कलक्टर, पाली द्वारा दिनांक 30.11.2017 को जारी किया हुआ है। तत्पश्चात् अपीलाण्ट अपने उक्त भूमि को अकृषि प्रयोजन से शैक्षणिक संस्थान के रूप में उपयोग में ले रहा था। परन्तु रेस्पोंडेण्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में झूठे तथ्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अंकित कर व आदेश दिनांक 30.11.2017 की जानकारी होने के बावजूद भी धारा 177 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसकी विधिवत तामिल अपीलाण्ट को नहीं की गई तथा उक्त प्रार्थना पत्र बाले-बाले आदेश जारी करवा दिया गया तथा रेस्पोंडेण्ट दिनांक 15.06.2025 को अपीलाण्ट के शैक्षणिक संस्थान पर आकर अपीलाण्ट को रेस्पोंडेण्ट द्वारा उसकी भूमि को एसडीएम के आदेश दिनांक 02.05.2024 राजस्व विविध पत्र 02/2023 के तहत सिवायचक दर्ज करने की जानकारी की तथा उक्त भूमि को खाली करने का कहा तथा उक्त आदेश की पालना में अपीलाण्ट को बेदखल करने को कहा। तब अपीलाण्ट तुरन्त उक्त प्रकरण की नकलें लेने हेतु दिनांक 17.06.2025 को आवेदन पेश किया, जिस पर अपीलाण्ट को उक्त आवेदन पर उक्त पत्रावली की नकल दिनांक 19.06.2025 को प्राप्त हुई, उक्त नकलें प्राप्त होने पर अपीलाण्ट यह अपील बिना विलम्ब से श्रीमान के समक्ष पेश कर रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार हैः-

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलांट के विरूद्ध ग्राम उतवण तहसील पाली की आराजी 91/1 रकबा 0.4613 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम पर अकृषि कार्य संचालन के आधार पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02.05.2024 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 26.06.2025 को विलंब के साथ प्रस्तुत की।
2. विलंबकाल माफ करने के संबंध में अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.05.2024 को पारित किये गये आदेश की जानकारी अपीलाण्ट को नहीं थीं, क्योंकि अपीलाण्ट की उक्त कृषि भूमि का पट्टा कार्यालय विहित प्राधिकारी जिला कलक्टर, पाली द्वारा दिनांक 30.11.2017 को जारी किया हुआ है। तत्पश्चात् अपीलाण्ट अपने उक्त भूमि को अकृषि प्रयोजन से शैक्षणिक संस्थान के रूप में उपयोग में ले रहा था। परन्तु रेस्पोंडेण्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में झूठे तथ्य अंकित कर व आदेश दिनांक 30.11.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2017 की जानकारी होने के बावजूद भी धारा 177 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसकी विधिवत तामिल अपीलाण्ट को नहीं की गई तथा उक्त प्रार्थना पत्र बाले–बाले आदेश जारी करवा दिया गया तथा रेस्पोंडेण्ट दिनांक 15.06.2025 को अपीलाण्ट के शैक्षणिक संस्थान पर आकर अपीलाण्ट को रेस्पोंडेण्ट द्वारा उसकी भूमि को एसडीएम के आदेश दिनांक 02.05.2024 राजस्व विविध पत्र 02/2023 के तहत सिवायचक दर्ज करने की जानकारी की तथा उक्त भूमि को खाली करने का कहा तथा उक्त आदेश की पालना में अपीलाण्ट को बेदखल करने को कहा। तब अपीलाण्ट तुरन्त उक्त प्रकरण की नकलें लेने हेतु दिनांक 17.06.2025 को आवेदन पेश किया, जिस पर अपीलाण्ट को उक्त आवेदन पर उक्त पत्रावली की नकल दिनांक 19.06.2025 को प्राप्त हुई, उक्त नकलें प्राप्त होने पर अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः विलंबकाल माफ कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट अप्रार्थी को विहित प्रारूप में नोटिस जारी किया तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.04.2024 नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रेषित नोटिस की पुश्त पर अंकन के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा न्यायालय नोटिस प्राप्त करने से इंकार करने पर तामील कुनिन्दा द्वारा मौतबिरान की उपस्थिति में खातेदार स्कूल की दीवार पर नोटिस चस्पा किया गया तथा नोटिस पर अपीलांट का नाम व मोबाईल नंबर अंकित किए गए एवं तामील कुनिन्दा एवं दो मौतबिरान द्वारा हस्ताक्षरित कर तहसीलदार को प्रेषित किया। जिसे तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया। अतः स्पष्ट है कि अपीलांट अप्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रेषित नोटिस की विधिवत तामील हुई थीं एवं अधीनस्थ न्यायालय में विहित दिनांक 15.04.2024 को अपीलांट अप्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन व निर्णित प्रकरण की बखूबी जानकारी थीं तथा अपीलांट अप्रार्थी न्यायालय प्रक्रिया में जानबूझकर सम्मिलित होने से अलग रहा। अतः अपीलांट का यह उज्र कि अपीलांट को विधिवत तामील करवाए बिना बाले बाले एकपक्षीय कार्यवाही व अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, पूर्णतया बनावटी व काल्पनिक कथन है। अपीलांट द्वारा प्रथम अपील के लिए विहित अवधि 60 दिवस के बजाय अत्यंत विलंब से हस्तगत अपील प्रस्तुत की हैं तथा दिन–प्रतिदिन के विलंब का कोई कारण दर्शित नहीं किया है एवं अपीलांट द्वारा विलंब के कारण के रूप में दर्शित आधार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सद्भाविक, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफी योग्य नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बखूबी साबित नहीं होता है व सारहीन है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट विहित परिसीमा अवधि से बाधित होने से खारिज किया जाना, पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

4. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :–

    1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5-condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.
    2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.
    3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is prefered after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforsaid provision cannotes that the dismissal is mandatory subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or refered to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.

4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law- then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

5. हमनें माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से **414 दिवस** का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि **414 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल** माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **31.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner